# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

**अपील संख्या 14/2018**

श्रीमती सरजू देवी पत्नि स्व0 श्री रामगोपाल सोनी निवासी 150/28 बक्शी जी की कोठी, अजमेर हाल निवासी 53, गली नं0 03 गंगा सागर–बी, वैशाली नगर, जयपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. बाबूलाल सोनी पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति सोनी निवासी प्लाट नं0 37, वृंदावन कॉलोनी, हटूण्डी रोड, अजमेर (राज0)।
2. महेश चन्द सोनी पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति सोनी निवासी 200/28, बक्शी जी की कोठी, अजमेर (राज0)।
3. सुरेश सोनी पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति सोनी निवासी 150/28, बक्शी जी की कोठी, अजमेर (राज0)
4. राजेश सोनी पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति सोनी निवासी–53, गली नं0 03, गंगा सागर–बी, वैशालीनगर, जयपुर (राज0)।

.....रेस्पोडेन्ट्स

**माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 (1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 के विरूद्ध अपील**

**आदेश** **दिनांक :– 26.07.2018**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सम्पति सं0 150/28 बक्शी जी की कोठी, अजमेर, प्रार्थिया द्वारा अपने स्त्रीधन से खरीदी थी। वर्ष 2009 से पूर्व वह अपने परिवार सहित इसी में रहवास करती थी। मार्च 2009 में अपने पुत्र राजेश के साथ जयपुर जाने पश्चात पुत्र सुरेश द्वारा उक्त मकान का ताला तोडकर कब्जा कर लिया गया। प्रार्थिया 78 वर्षीय असहाय, बीमार, लाचार, एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला हैं जिसके भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी अप्रार्थीगण की है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण करने के बजाय उसे उसकी ही सम्पति से विमुख कर दिया। अप्रार्थीगण से भरण पोषण के रूप में 12000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाया जावें एवं प्रार्थिया की स्वअर्जित सम्पति 150/28 बक्शी जी की कोठी, अजमेर का कब्जा पुत्र सुरेश से प्रार्थिया का दिलवाया जावें। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 में अपीलार्थीया के भरण पोषण हेतु 2000/– प्रति पुत्र से कुल 8000/– रूपये प्रतिमाह भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित उक्त आक्षेपीय आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा स्वयं के खरीदशुदा मकान नम्बर 150/28, बक्शीजी की कोठी, अजमेर का कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से उन्हें दिलवाया जाने एवं भरण पोषण स्वरूप रेस्पोडेन्ट्स से 10,000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाया जाने की इस्तदुआ के यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 3, 4 स्वयं उपस्थित आयें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। लिखित बहस प्रस्तुत की। दौराने सुनवाई अपीलान्ट स्वय उपस्थित नहीं आई उनकी ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील/बहस में मुख्यतः निवेदन किया गया कि सम्पति सं0 150/28 बक्शी जी की कोठी, अजमेर अपीलान्ट द्वारा अपने स्त्रीधन से खरीदी थी। वर्ष 2009 से पूर्व वह अपने परिवार सहित इसी में रहवास करती थी। मार्च 2009 में मै अपने पुत्र राजेश के साथ जयपुर चली गई तब पुत्र सुरेश द्वारा मकान का ताला तोडकर कब्जा कर लिया गया। अपीलान्ट 78 वर्षीय असहाय, बीमार, लाचार, एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला हैं जिसके भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट्स की है किन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भरण पोषण करने के बजाय उसे उसकी ही सम्पति से विमुख कर दिया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 के द्वारा अपीलार्थीया के भरण पोषण हेतु 2000/– प्रति पुत्र से कुल 8000/– रूपये प्रतिमाह ही भुगतान किये जाने के आदेश पारित किया तथा अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पति 150/28 बक्शीजी की कोठी का कब्जा पुत्र सुरेश से उन्हे दिलाये जाने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अधिनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों, उच्च न्यायालयों के निर्णय, न्यायिक दृष्टान्तों की अनदेखी करते हुए विचाराधीन सिविल वाद एवं जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का जिक करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः उक्त आक्षेपीय आदेश को निरस्त कर, स्वयं के खरीदशुदा मकान नम्बर 150/28, बक्शीजी की कोठी, अजमेर का कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से उन्हें दिलवाया जावे एवं भरण पोषण स्वरूप रेस्पोडेन्ट्स से 10,000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाया जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 एवं 03 द्वारा मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट के अपील कथन निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढन्त है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश तथ्यों एवे विधिक प्रावधानों के अर्न्तगत है जिसमें हस्तक्षेप करने की कतई गुंजाईश नहीं है। अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु 8000/– रूपये प्रतिमाह प्रत्येंक पुत्र द्वारा 2000/– रूपये अदा किये जाने का आदेश पर्याप्त से ज्यादा है। अपीलान्ट 11 वर्ष से भी अधिक अवधि से जयपुर में निवास कर रहीं है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 (पुत्र राजेश) के मार्फत ब्याज एवं शेयर्स का कार्य किया जाता है, इसलिए अधिनस्थ अधिकरण द्वारा निर्धारित राशि समुचित है। अपील में उल्लेखित सम्पतियों बाबत बॅटवारें का दावा मान0 सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। इस दावें में अपीलार्थी स्वयं भी पक्षकार है एवं उनकी ओर से वरिष्ठ वकील मुर्करर है जिनके द्वारा उसमें पैरवी की जा रही है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन दावे में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के पश्चात सोच विचार कर बिल्कुल असत्य तथ्यों के आधार पर भरण पोषण का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.5.2017 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खण्डपीठ में की जा सकती है। जो नहीं किये जाने से उक्त आदेश के वर्तमान में प्रभाव में रहते अपीलार्थी इस न्यायालय में अपील के जरिये किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

प्रकरण में लागू नहीं होती है। प्रश्नगत सम्पति संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 03 निवास कर रहा है तथा इस बाबत माननीय अपर जिला जज सख्या–2, अजमेर द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो प्रभाव में है। इसलिए अधिनस्थ अधिकरण, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 16(1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से न्यायहित में खारिज फरमाई जावें।

हमने अपील तथ्यो, प्रस्तुत लिखित बहस एवं रेकार्ड पत्रावली का रेस्पोडेन्ट सं0 1 एवं 3 के जवाब के अवलोकन मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के जरिये सम्पति 150/28, बक्शीजी की कोठी, अजमेर का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 03 सुरेश सोनी (पुत्र) से दिलवाया जाने एवं भरण पोषण हेतु रेस्पोडेन्ट्स से रूपये 10,000/– प्रतिमाह दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन एवं पक्षकारान द्वारा परस्पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब कथनो से सम्पति बाबत पक्षकारान के मध्य परस्पर विवाद होना प्रकट आया है। पक्षकारान आपस में संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा उल्लेखित सम्पति बाबत माननीय सिविल न्यायालय में बॅटवारे का वाद विचाराधीन है। माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–2, अजमेर के न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 17.5.2017 से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक वर्णित सम्पतियों बाबत तोडफोड, निर्माण, रहन, विकय व किसी प्रकार अन्य किसी को हस्तान्तरित नहीं किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं। जिसे अपीलार्थी ने भी प्रस्तुत अपील में स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा मार्च 2009 से अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के साथ जयपुर में रहना भी व्यक्त किया गया है। चूंकि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट्स की माताजी है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के भरण पोषण की जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट्स की ही है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट भरण पोषण हेतु रूपये 10,000/–प्रति माह के अनुतोष तक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 को यथावत रखते हुए उसमें यह जोडा जाता हैं कि चारों पुत्र (रेस्पोडेन्टस) अपनी माताजी (अपीलान्ट) के भरण पोषण हेतु रूपये 10,000/– प्रत्येक पुत्र द्वारा 2,500/– 2,500/– रूपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में हर माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से जमा करावें। यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा। रेस्पोडेन्टस इस आशय की लिखित अण्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पीठासीन अधिकारी अजमेर के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर